

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 122 / 2015

संस्थित दिनांक-09 / 11 / 2015

फाईलिंग नंबर-230303001062015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0)

-----अभियोजन

वि रू द्ध

1. भारतपाल सिंह पुत्र रणवीरसिंह उम्र 34 साल  
निवासी ग्राम सिंघवारी थाना मालनपुर जिला भिण्ड
2. प्रताप सिंह पुत्र भारतसिंह सिसौदिया उम्र 23 साल  
निवासी ग्राम सिंघवारी थाना मालनपुर जिला भिण्ड
3. दामोदर उर्फ करूआ पुत्र भारत सिंह सिसौदिया उम्र 27 साल  
निवासी ग्राम सिंघवारी थाना मालनपुर जिला भिण्ड
4. दिनेश कुमार पुत्र रामप्रकाश उम्र 27 साल  
निवासी हरिराम की कुड़आ थाना मालनपुर जिला भिण्ड
5. नरेश उर्फ भटा पुत्र रामसिंह सिसौदिया उम्र 25 साल  
निवासी ग्राम सिंघवारी थाना मालनपुर जिला भिण्ड

.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक।  
आरोपी प्रतापसिंह एवं दामोदर द्वारा श्री मुंशीसिंह यादव अधिवक्ता।  
आरोपी भारतपाल सिंह द्वारा श्री सागर सिंह अधिवक्ता।  
आरोपी दिनेश कुमार द्वारा श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता।  
आरोपी नरेश उर्फ भटा द्वारा श्री ब्रजेन्द्र सिंह यादव अधिवक्ता।

**-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 24 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आरोपी दिनेश एवं दामोदर उर्फ करूआ के विरुद्ध धारा 399 भा0द0वि0 सह पठित धारा 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं धारा 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा 11, 13 एम0पी0डी0पी0के0 एक्ट तथा आरोपी नरेश उर्फ भटा के

विरुद्ध धारा 399, 400, 402 सहपठित धारा 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का तथा आरोपी प्रताप और भारतपाल के विरुद्ध धारा 399 सहपठित धारा 11, 13 भा0द0वि0 एवं धारा 402 सहपठित धारा 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 (1-बी)(ए) के अंगतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28/10/14 को सुबह करीब 03:10 बजे मालनपुर स्थित हॉटलाइन फैक्ट्री के गेट नं0 4 के सामने डकैती प्रभावित क्षेत्र में 5 व्यक्तियों की संख्या में एकत्रित होकर तथा आपस में मिलकर फैक्ट्री में डकैती डालने की योजना बनाई और तैयारी की तथा उक्त समय पर आरोपी भारतपाल एवं प्रताप अपने आधिपत्य व संज्ञान में बगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा करातूस के रखे पाये गये।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 28/10/2014 के रात्रि 03:10 बजे हॉटलाइन फैक्ट्री के पास मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ- 91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है, कि दिनांक 28/10/14 को थाना मालनपुर में निरीक्षक शेरसिंह कस्बागस्त एवं विवेचना के लिए पुलिस बल मय पी0एस0आई0 ब्रजेन्द्र सिंह, ए0एस0आई0 आशाराम, प्रधान आरक्षक ओमवीर, प्रधान आरक्षक महावीर, आरक्षक नरेन्द्र भार्गव आरक्षक इन्द्र सिंह एवं आरक्षक चालक श्यामसिंह परिहार को लेकर शासकीय वाहन क्रमांक एम0पी0-03-501 से रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1034 पर खानगी अंकित कर सुरक्षा हेतु आर्म्स एम्युनेशन के साथ रात 12:05 बजे थाने से खाना हुए थे। गस्त के दौरान हनुमान चौक मालनपुर में उसे मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि हॉटलाइन फैक्ट्री के गेट नं0-4 के पास कुछ बदमाश फैक्ट्री डकैती डालने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना की तस्दीख हेतु वह साथ गये पुलिस बल को लेकर हॉटलाइन एच0टी0सी0 प्लांट पर पहुंचा और वाहन को खड़ा करके दवे पांव गेट नंबर-04 के पास पहुंचकर छिपकर देखा तो कुछ लोगों की आहट सुनाई दी, तब फोर्स को दीवार के किनारे किया और बदमाशों की चर्चा सुनी बदमाशों में से एक ने कहा कि जल्दी करो नहीं तो सुबह हो जायेगी, तब दूसरा बदमाश बोला कि भारत और प्रताप सबसे पहले गेट के सिक्योरिटी गार्ड को बांध कर डालेंगे, नरेश और दिनेश फैक्ट्री में घुसेगा तभी दूसरा बदमाश बोला कि करुआ सड़क पर झाडियों में छिपकर पहरेंदारी करेगा और यदि कोई आयेगा तो कू-का का इशारा करके बतायेगा। उक्त व्यक्तियों की डकैती की योजना को ध्यान से सुनने के बाद साथ गये पुलिस बल को इशारा करके टार्च के उजाले में मौके पर घेराबंदी कर 4 बदमाशों को पकड़ा गया, एक बदमाश झाडियों की आड़ से भाग गया। जिसका आरक्षक नरेन्द्र भार्गव ने पीछा भी किया, किंतु वह पकड़ में न आ सका। पकड़े गये बदमाशों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम पते बताये। पकड़े गये बदमाश भारतपाल, प्रताप, दिनेश और दामोदर उर्फ करुआ थे, जिन्होंने भागे हुए बदमाश का नाम भटा उर्फ नरेश निवासी सिंघवारी का बताया।

4. पकड़े गये आरोपियों की तलाशी ली गयी तो आरोपी भारत की कमर में बायीं और पेंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा जिसकी बेरल में एक जिंदा कारतूस तथा पेंट की दाहिनी जेब में एक जिंदा कारतूस मिला तथा प्रताप की तलाशी लिये जाने पर पेंट में बेल्ट के नीचे बायीं और एक कट्टा 315 बोर लगा मिला, जिसकी बेरल में एक जिंदा कारतूस था और पेंट की बायीं जेब में दो जिंदा कारतूस रखे हुए थे। जिनसे कट्टा कारतूस रखने का लाइसेंस मांगा तो न होना बताया तथा जिन्हें मौके पर गिरफ्तार किया और उनसे कट्टा कारतूस की जब्ती साक्षी राजेश एवं छोटाराज के समक्ष की गयी, जो फैक्ट्री के चौकीदार थे तथा दामोदार उर्फ करुआ कठोर धातु काटने का हाथ में कटर लिये था जिससे पूछताछ करने पर डकैती के समय फैक्ट्री के अंदर कुन्दा आदि काटने के लिए कटर लिये होना बताया तथा दिनेश प्लास लिये हुए था। उनसे भी कटर व प्लास उक्त साक्षियों के समक्ष जब्त किया गया तथा चारों बदमाशों को थाने लाकर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 316/14 धारा-399, 400, 402 भा0द0वि0, 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्र0पी0-17 की एफ0आई0आर0 दर्ज कर अनुसंधान उपरांत उक्त धाराओं का अपराध पाये जाने का अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम विशेष डकैती न्यायालय भिण्ड में प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त प्रकरण अन्तरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
5. पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपी दिनेश एवं दामोदर उर्फ करुआ के विरुद्ध पूर्व पीठासीन न्यायाधीश द्वारा धारा-399 सहपठित धारा 11, 13, धारा-402 सहपठित धारा 11, 13 का आरोप लगाया गया तथा आरोपी प्रताप व भारत पाल के विरुद्ध धारा-399 भा0द0वि0, सहपठित धारा 11, 13, धारा 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा 11, 13 एवं धारा 25 (1-बी)(ए) आयुध अधिनियम का आरोप लगाया गया। विचारण के दौरान फरार रहे आरोपी नरेश नरेश सहित भटा के पेश होने पर उसके विरुद्ध इस न्यायालय में धारा 399, 400, 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोप विरचित किये गये, विचारण आरोपीगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया। आरोपीगण ने धारा-313 जा0 फौ0 के अंतर्गत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है, कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।
6. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध विरचित आरोपों के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय हैं।
  1. क्या आरोपीगण दिनांक 28/10/14 को सुबह करीब 03:10 बजे थाना मालनपुर के क्षेत्रांतर्गत स्थित हॉटलाइन फैक्ट्री के गेट नंबर 04 के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में पांच की संख्या में टोली के रूप में डकैती करने की तैयारी के साथ एकत्रित हुए थे ?
  2. क्या आरोपीगण ने उक्त सुसंगत घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आपस में मिलकर हॉटलाइन फैक्ट्री में डकैती डालने योजना निर्मित की या बनाई ?
  3. क्या आरोपीगण डकैती डालने की योजना को क्रियान्वित करने

हेतु आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित थे ?

4. क्या उक्त सुसंगत घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी भारत पाल सहित प्रतापसिंह अपने आधिपत्य व संज्ञान में बगैर वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति के 315 बोर के देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के रखे हुए पाये गये ?

**—::निष्कर्ष के आधार ::—**

7. उपरोक्त सभी विचारणीय बिन्दु एक ही घटना से समर्थित होकर एक दूसरे से सम्बद्ध हैं इसलिए सक्ष्य की विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा की दृष्टि से सभी का एक साथ मूल्यांकन करते हुए निराकरण किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से घटना के स्वतंत्र व बताये गये पंचसाक्षी राजेश (अ0सा0-1) एवं छोटेराजा (अ0सा0-7) हैं, जो मौके पर की गयी कार्यवाही के पंचसाक्षी होकर प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-8 के दस्तावेजों के साक्षी हैं। जिनमें से छोटेराजा (अ0सा0-7) ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कहानी का लैसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। उसने यह बताया है कि जनवरी से दिसंबर 2014 की अवधि में वह हॉटलाइन फ़ैक्ट्री मालनपुर में काम करता था, लेकिन उसका सामने इस दौरान पुलिस द्वारा न तो विचाराधीन आरोपियों में से किसी को पकड़ा गया, न ही कोई वस्तु जब्त की गयी, न ही पुलिस को उसने कोई बयान दिया, न ही वह आरोपियों को पहचानता है। साक्षी ने इस बात से साफ तौर पर इंकार किया है, कि दिनांक 28/10/14 को सुबह करीब 03:10 बजे टी0आई0 शेरसिंह ने उसके सामने हॉटलाइन फ़ैक्ट्री के गेट नंबर-04 से आरोपी भारतपाल, प्रताप, दामोदर और दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया था, न ही उसके सामने आरोपी भारतपाल और प्रताप से 315 बोर का देशी कट्टा मय कारतूस के जब्त किया, न ही दामोदर से कोई लोहे का कटर और दिनेश से प्लास जब्त किया था। उसने पुलिस को प्र0पी0-18 का ए से ए भाग का कथन "तभी मालनपुर थाने की.....थाने की तरफ चली गयी थी", पुलिस को देने से इंकार किया है। प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-8 के दस्तावेजों पर वह पुलिस द्वारा फ़ैक्ट्री पर आकर उसके हस्ताक्षर करा लिये जाना कहा है। इस तरह से अ0सा0-7 के द्वारा अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है और अभियोजन द्वारा उसे पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी कोई तथ्य विचाराधीन आरोपियों के प्रमाण के समर्थन में नहीं आये है।
9. साक्षी राजेश (अ0सा0-1) ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी दिनेश को पहचानते हुए तथा शेष को पहचानने से इन्कार कर यह कहा है, कि दिनांक 28/10/14 को रात्रि में हॉटलाइन सी0पी0टी0 फ़ैक्ट्री मालनपुर में वह सुरक्षार्गार्ड की ड्यूटी पर था। सुबह करीब 04:00 बजे पुलिस आयी और गेट नंबर 04 से आरोपी दिनेश को पुलिस पकड़ कर ले गयी थी। पुलिस ने क्या कार्यवाही की थी, यह उसे पता नहीं है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किया गया, पूछे गए सूचक प्रश्नों में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-8 कि दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर करना तो बताता है, किंतु उसका हस्ताक्षर के संबंध में यह कहना रहा है, कि प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-8 पर पुलिस ने उससे



थाने पर हस्ताक्षर कराये थे, उस समय उनमें कुछ लिखा नहीं था और वह खाली थे और हस्ताक्षर 29 तारीख को सुबह भी कराया जाना बताते हुए प्र०पी०-9 का कथन देने से उसने इंकार किया है।

10. राजेश (अ०सा०-1) ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने गेट नंबर 04 से आरोपी भारतपालसिंह, प्रतापसिंह, दामोदर को भी पकड़ा था और भारतपाल और प्रतापसिंह से 315 बोर का देशी कट्टा मय जिंदा कारतूस के, व दामोदर से कटर जब्त किया गया था। उसने आरोपी दिनेश के जब्तीपत्रक पर 29 तारीख को सुबह हस्ताक्षर करना बताया है। गिरफ्तारी पत्रक पर हस्ताक्षर से पैरा-5 में उसने इंकार किया है तथा यह कहा है, कि उसकी ड्यूटी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। पैरा-5 में ही उसने दिनेश से कटर जब्त होना बताया है, जबकि कथानक मुताबिक दिनेश से प्लास की जब्ती बतायी गयी है। प्रकरण में आरोपी नरेश उर्फ भटा के विचारण के दौरान उपस्थित होने पर उसके संबंध में आरोप विचारित कर पुनः विचार किया गया जिसके संदर्भ में पैरा-7 में उसने यह बताया है, कि गेट नंबर 04 पर चहल पहल हो रही थी, तब वहां मालनपुर की पुलिस आयी थी, लेकिन पुलिस द्वारा हथियारों सहित तीन आरोपियों को पकड़ लेना तथा दो बदमाश का भाग जाने से उसने इंकार कर केवल दिनेश की गिरफ्तारी बताते हुए यह कहा है, कि दिनेश ने भागने वाले बदमाश का नाम नरेश उर्फ भटा बताया था, फिर वह यह भी कहता है, कि बताया था, या नहीं यह वह नहीं बता सकता है और दिनेश द्वारा बतायी गयी बात की कोई लिखापट्टी नहीं हुई थी।

11. इस प्रकार से अ०सा०-1 के अभिसाक्ष्य में केवल आरोपी दिनेश का हॉटलाइन फैक्ट्री के गेट नंबर 04 से गिरफ्तारी की बात वह मात्र बताता है, जबकि कथानक मुताबिक और जैसा कि प्र०पी०-16 के रोजनामचा सान्हा में घटनाक्रम बताया गया है उसके अनुरूप उक्त साक्षी का भी कोई समर्थन नहीं है तथा वह गिरफ्तारी के संबंध में जो बात बताता है उसके संबंध में भी वह स्थिर नहीं है, क्योंकि आरोपी दिनेश कुमार का गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-1 है जो घटना के परिवादी टी०आई० शेरसिंह (अ०सा०-6) के द्वारा दिनांक 28/10/14 को ही मौके पर तैयार करना बताया है, जबकि अ०सा०-1 उस पर अगले दिन 29 तारीख में हस्ताक्षर करना कहता है। कथानक मुताबिक दिनेश पर प्लास बताया गया है, जबकि उक्त साक्षी दिनेश से कटर जब्त होना बताता है, जबकि कटर दामोदर पर बताया गया है और दामोदर को तो वह पकड़े जाने से ही इंकार करता है। ऐसे में अ०सा०-1 का आरोपी दिनेश के संबंध में दिए गए अभिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह दस्तावेज पर हस्ताक्षर उस अवस्था में करना बताता है, जब वह कोरे थे और उनमें कुछ लिखा नहीं था और थाने पर करना बताया है, जो कथानक के बिल्कुल विपरीत है तथा दिनेश को पुलिस द्वारा पकड़ कर ले जाना तो वह कहता है तथा गिरफ्तारी पत्रक पर वह हस्ताक्षर से ही पैरा-5 में इंकार कर रहा है। जबकि पैरा-1 में गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-1 के ए से ए भाग के हस्ताक्षर उसके द्वारा बताये गये थे। ऐसे में उक्त साक्षी विश्वसनीय नहीं रह जाता है और बचाव पक्ष का किया गया यह तर्क कि अ०सा०-1 और अ०सा०-7 का अभियोजन को कोई समर्थन नहीं है, वह साक्ष्य के आधार पर ग्राह्य योग्य है।

12. उक्त प्रकरण डकैती की तैयारी, योजना से संबंधित होकर रात्रि के समय का है। ऐसे में पुलिस भी महत्वपूर्ण साक्षी हो जाती है, किंतु अ0सा0-1 और अ0सा0-7 मौके की संपूर्ण कार्यवाही का पंचसाक्षी बताया गया है और उनको हॉटलाइन फ़ैक्ट्री के सुरक्षाकर्मी होने के आधार पर उन्हें मौके पर उपस्थित बताते हुए उन्हें प्रकरण में साक्षी के तौर पर शामिल किया गया है। ऐसे में अ0सा0-1 और अ0सा0-7 का अभियोजन को समर्थन न करना अभियोजन के लिए निश्चित रूप से घातक है। ऐसी स्थिति में अन्य परीक्षित साक्षी जो कि शासकीय सेवक व पुलिस कर्मी है, उनकी अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानी से मूल्यांकन और परीक्षण किया जाना आवश्यक हो जाता है।
13. उक्त दोनों साक्षी राजेश अ0सा0-1 और छोटेराजा अ0सा0-7 के संबंध में अनुसंधान स्तर पर उनका हॉटलाइन फ़ैक्ट्री में चौकीदार हो कर ड्यूटी पर होने के संबंध में कोई भी प्रमाण संबंधित उक्त फ़ैक्ट्री प्रबंधन द्वारा यदि सुरक्षा गार्ड ठेकेदार के माध्यम से सेवारत रहे हो तो, ठेकेदार के अभिलेख का कोई प्रमाण भी सकलित नहीं किया गया है, जो इस बात की पुष्टि कर सके कि जिस समय की घटना बतायी गयी है, उस समय अ0सा0-1 और अ0सा0-7 सुरक्षाकर्मी के रूप में हॉटलाइन फ़ैक्ट्री के गेट नंबर 04 पर या अन्य किसी भाग पर ड्यूटी पर तैनात हों, जिससे रात्रि के समय उनकी उपस्थिति प्रकट होती हो। ऐसी स्थिति में टी0आई0 शेरसिंह एवं साथ गये पुलिस बल के परीक्षित साक्षियों का मूल्यांकन सूक्ष्मता से और सावधानीपूर्वक करना अपेक्षित हो जाता है।
14. प्र0पी0-15 के रोजनामचा सान्हा मुताबिक पुलिस बल में टी0आई0 शेरसिंह के साथ जो पुलिस अधिकारी, कर्मचारी गये थे, उनमें से केवल आरक्षक नरेन्द्र भार्गव का ही अ0सा0-2 के रूप में परीक्षण कराया गया है। हमराह पुलिस बल में बताये गये पी0एस0आई0 ब्रजेन्द्र सिंह व ए0एस0आई0 आशाराम प्रधान आरक्षक ओमवीर और महावीर तथा आरक्षक इन्द्रसिंह तथा आरक्षक चालक श्याम सिंह परिहार को परीक्षित नहीं कराया गया। आरक्षक इन्द्रसिंह को विचारण कार्यक्रम में साक्षी के तौर पर शामिल किया गया था, किंतु उसे अभियोजन द्वारा अपरीक्षित छोड़ा गया, जिससे आरक्षक इन्द्रसिंह बघेल के संबंध में इस आशय की उपधारणा निर्मित की जा सकती है, कि वह अभियोजन के अनुरूप समर्थन नहीं करता अन्यथा उसे परीक्षित कराया जाता। ऐसे में आरक्षक नरेन्द्र भार्गव (अ0सा0-2) और टी0आई0 शेरसिंह (अ0सा0-6) मौके की कार्यवाही के साक्षी रह जाते हैं, क्योंकि प्र0पी0-17 की एफ0आई0आर0 पजीबद्ध होने के पश्चात की विवेचना उपनिरीक्षक महेन्द्रदेव सिंह (अ0सा0-5) के द्वारा करना बताया गया है। जिसमें उसके द्वारा केवल साक्षी छोटेराजा बुंदेला और राजेश तथा आरक्षक इन्द्रसिंह बघेल और नरेन्द्र भार्गव के कथन लिये गये थे। नरेश उर्फ भटा की उपजेल गोहद से गिरफ्तारी उसके द्वारा की जाना बतायी गयी है, और उक्त विवेचक की, की गयी कार्यवाही के संबंध में केवल आरक्षक नरेन्द्र भार्गव का ही अभिसाक्ष्य मात्र किया है, जिसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन अभी होना है। ऐसे में अ0सा0-5 की अभिसाक्ष्य औपचारिक स्वरूप की हो जाती है।
15. टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-6 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि

दिनांक 28/10/14 को वह थाना मालनपुर पर पदस्थ होकर थाना प्रभारी था और पुलिस बल को लेकर शासकीय वाहन क्रमांक एम0पी0-03-501 से रात्रि कस्बा गस्त व विवेचना के लिए रवाना रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1034 पर रवानगी अंकित कर हुआ था। जो प्र0पी0-15 है, पुलिस बल में उसके साथ पी0एस0आई0 ब्रजेन्द्रसिंह, ए0एस0आई0 आशाराम, प्रधान आरक्षक ओमवीर व महावीर, आरक्षक नरेन्द्र भार्गव व इन्द्रसिंह, चालक आरक्षक श्याम सिंह परिहार थे। गस्त के दौरान हनुमान चौक पर उसे मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली कि सी0पी0टी0 हॉटलाइन फ़ैक्ट्री के गेटनंबर 04 के पास कुछ बदमाश डकैती डालने की योजना बना रहे हैं, तो सूचना पाकर तस्दीख हेतु उक्त पुलिस बल को लेकर शासकीय वाहन से हॉटलाइन फ़ैक्ट्री पर पहुंचा था, गेट तक वाहन से गये थे, वाहन को वहीं छोड़कर छिपते छिपाते सी0पी0टी0 हॉटलाइन फ़ैक्ट्री के गेट नंबर 04 की तरफ गये और बाउण्ड्री से छिपकर बदमाशों की आवाज सुनी तो एक बदमाश ने कहा कि जल्दी करो वरना सुबह हो जाएगी, एक बदमाश ने कहा कि भारत और प्रताप सबसे पहले गेट के सिक्योरिटी गार्ड को बांध कर डालेंगे, नरेश और दिनेश फ़ैक्ट्री के अंदर घुसंगे और करूआ झाड़ियों में छिपकर पहरेदारी करेगा और जब कोई आयेगा तो कू-का की आवज देकर इशारा करेगा। बदमाशों की योजना को सुनकर उसने हमराह पुलिस बल को इशारा किया टार्च के उजाले से चार बदमाश को मौके पर घेर कर पकड़ लिया। एक बदमाश झाड़ियों की आड़ से मौके पर से भाग गया, जिसका आरक्षक नरेन्द्र भार्गव ने पीछा किया था, किंतु वह उसे पकड़ नहीं सका था। इसी आशय की अभिसाक्ष्य आरक्षक नरेन्द्र भार्गव अ0सा0-2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में दी है।

16. टी0आई0 शेरसिंह (अ0सा0-6) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है, कि जो बदमाश मौके पर पकड़े गये थे, उन्होंने अपने नाम पते बताये थे। भारतपाल, प्रतापसिंह, दामोदर ग्राम सिंघवारी तथा दिनेश कुमार हरिराम की कुड़आ का होना बताया था। पकड़े गये बदमाशों ने भागे हुए बदमाश का नाम करूआ उर्फ भटा होना बताया था, जबकि नरेन्द्र भार्गव अ0सा0-2 भागे हुए बदमाश का नाम आरोपी दिनेश द्वारा नरेश उर्फ भटा निवासी सिंघवारी का होना बताया जाना कहता है। अ0सा0-6 ने मौके पर की गयी कार्यवाही के संबंध में यह कहा है कि पकड़े गये बदमाशों की जब तलाशी ली गयी थी तो आरोपी भारतपाल से 315 बोर का एक देशी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस मिले थे तथा प्रताप सिंह से की जामातलाशी में 315 बोर का देशी कट्टा और तीन जिंदा कारतूस मिले थे जिनको रखने का उनके पास कोई शस्त्र लाइसेंस मागने पर उनके द्वारा पेश नहीं किया गया था, तब उसके द्वारा आरोपी भारतपाल से बरामद हुए कट्टा कारतूस को प्र0पी0-6 का जब्तीपत्रक बनाकर तथा प्रताप से जब्त कट्टा और कारतूस को प्र0पी0-7 का जब्ती पत्रक बनाकर जब्त किये थे। भारतपाल को प्र0पी0-3 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार करना तथा प्रताप को प्र0पी0-4 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर गिरफ्तार करना बताया है तथा आरोपी करूआ उर्फ दामोदर की जामा तलाशी के दौरान कठोर धातु कटने वाला कटर मिला था, जिसे उसने प्र0पी0-2 का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त किया था और करूआ उर्फ दामोदर को प्र0पी0-05 के गिरफ्तारी पत्रक के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था तथा दिनेश की जामा तलाशी में उससे प्लास मिला था, जिसे उसने प्र0पी0-2 का जब्तीपत्रक बनाकर जब्त किया था। दिनेश की

गिरफ्तारी प्र०पी०-०१ गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर करना वह बताता है, तथा जब्त वस्तुओं को शील्ड करना भी वह कहता है। इसी तरह की मुख्य परीक्षण की अभिसाक्ष्य आरक्षक नरेन्द्र भार्गव (अ०सा०-२) के द्वारा भी दी गयी है।

17. टी०आई० शेरसिंह (अ०सा०-६) ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-०९ में यह बताया है, कि मौके पर पकड़े गये चारों आरोपीगण को गिरफ्तार कर जब्तशुदा माल को थाना लाकर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1036 पर वापिसी दर्ज की गयी थी, जो प्र०पी०-१६ है, तथा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 216/14 धारा-399, 400, 402 भा०द०वि० एवं 11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्र०पी०-१७ की एफ०आई०आर दर्ज की थी और विवेचना उपनिरीक्षक महेन्द्रसिंह सेंगर को सौंपी थी।

18. अ०सा०-६ द्वारा पैरा-१० में यह स्वीकार किया गया है, कि दिनांक 27/10/14 को आरोपी दिनेश से संबंधित न्यायालय से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन दिनेश उस समय थाने पर नहीं था। यह भी स्वीकार किया है, कि उक्त आवेदन पत्र अपराध की केस डायरी मय कैफियत के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त हुआ था। इस बात से उसने इंकार किया है, कि उक्त कैफियत प्राप्त होने पर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा मामला थाने पर बैठकर, झूठी कार्यवाही करते हुए पंजीबद्ध किया है। यह भी स्वीकार किया है, आरोपी दिनेश से जो प्लास जब्त बताया गया है, वह बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस बात से भी इन्कार किया है, कि दिनेश रात्रि में करीब 12 बजे शिफ्ट बदलने पर फैक्ट्री से अपने घर जा रहा था, तब उसे रास्ते में पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भारतपाल के संबंध में पैरा-११ में उक्त विवेचक ने प्र०पी०-६ के जब्ती पत्रक में अंक ९ में ओवरराइटिंग होना स्वीकार करते हुए यह कहा है, कि जब्तीपत्रक में जब्तशुदा कट्टे को लगाकर छायाचित्र खींचा गया था, जिसमें ट्रेगर गार्ड का बाहरी भाग को स्केच किया है और कारतूस की पैदे पर आकृति लेख नहीं है, किंतु उसकी पैदे में ८ एम०एम०के०एफ लिखा होना बताया है तथा शेष आरोपीगण के संबंध में पैरा-१२ में उक्त विवेचक ने यह स्वीकार किया है, कि दामोदर से जो कटर प्राप्त हुआ है, वह घरेलू उपयोग की सामग्री है और लोग अपने घरों में रखते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है, कि दामोदर स्टील फैक्ट्री में काम करता था और धातु काटने के लिए कटर का उपयोग करता था, हालांकि इस बात से वह इंकार करता है, कि दामोदर को फैक्ट्री पर नौकरी पर जाते समय गिरफ्तार कर लिया। उसने इस बात से इन्कार किया है, कि प्रताप का अपने पड़ोसी से मुंह-वाद हो गया था, इस कारण पुलिस उसे घर से उठाकर थाने ले गयी थी और फरियादी से मिलकर कट्टा कारतूस की झूठी जब्ती करा दी गयी है।

19. मौके की कार्यवाही के संबंध में आरक्षक नरेन्द्र भार्गव (अ०सा०-२) के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-२ में यह कहा है, कि किस आरोपी को किस पुलिस कर्मी ने पकड़ा था, यह वह नहीं बता सकता। उसके सामने किसी आरोपी को नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वह भागे हुए आरोपी का पीछा कर रहा था। उसका यह भी कहना है, कि जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही टी०आई० साहब ने मौके पर की थी। उसे याद नहीं है, कि दिनांक 28/10/14 से 02/11/14 तक वह



अवकाश पर था या ड्यूटी पर रहा, उसका यह कहना अवश्य रहा है, कि 27 तथा 28 अक्टूबर एवं 2/11/14 को वह ड्यूटी पर था, 29, 30 अक्टूबर और 01 नवंबर का उसे याद नहीं है। पैरा-3 में उसने यह भी स्वीकार किया है, कि वर्ष 2013 से वह थाना मालनपुर में पदस्थ है और तभी से हॉटलाइन फ़ैक्ट्री बन्द है, किंतु वहां गार्ड रहते हैं। दिनेश पर प्लास शरीर के किस भाग से मिला यह वह नहीं बता सकता है। कबाड़े से उठाकर जब्त कर लेने से वह इन्कार करता है।

20. आरक्षक नरेन्द्र भार्गव (अ0सा0-2) ने अपने अभिसाक्ष्य में के पैरा-4 में यह कहा है, कि उसकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है, कोई निश्चित समय नहीं है। दिनांक 27/10/14 को वह पूरे समय थाने पर रहा था, शाम के 5:00-6:00 बजे वह अपने कमरे पर गया था और पांच, छः घंटे रुक कर रात्रि करीब 12:00 बजे थाने पर पुनः आया था, फिर गस्त के लिए रवाना हुए थे। टी0आई0 साहब ने रवानगी रोजनामचा में दर्ज की थी और एस0आर0एफ0 फ़ैक्ट्री की तरफ गये थे तथा रात करीब ढाई-तीन बजे तक गस्त किया था, इस दौरान अन्य कोई कार्यवाही नहीं हुई, फिर हनुमान चौक पर आ गये थे। वहां पर टी0आई0 साहब ने हॉटलाइन फ़ैक्ट्री की तरफ चलने की बात बतायी थी, जो हनुमान चौक से 2-3 किलोमीटर दूर होगी, 15-20 मिनट में वह गेट नंबर-04 पर पहुंचे थे। उसका यह भी कहना है, कि गस्त के लिए सरकारी जीप से गये थे और पुलिस ही थी, प्राइवेट कोई व्यक्ति गस्त में नहीं था। जबकि प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-8 की जो कार्यवाही रात्रि में मौके पर की जाना बतायी गयी है, उसका दोनों ही पंचसाक्षी राजेश (अ0सा0-1) और छोटेराजा (अ0सा0-7) को बताया गया है, जिनकी सुरक्षाकर्मी के रूप में उपस्थिति प्रमाणित नहीं है और उनके द्वारा भी कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार मौके की कार्यवाही में एक घंटे का समय लगा और 04:00-05:00 बजे वे थाने पर आ गये और फिर वह अपने कमरे पर चला गया था, उसके पहले क्या कार्यवाही हुई, यह उसे पता नहीं है।

21. जिस आरोपी नरेश उर्फ भटा का मौके से वह भागना और पीछा करना बताता है, उसके बारे अपने पैरा-7 में यह स्वीकार किया है, कि आरोपी नरेश उर्फ भटा के विरुद्ध थाना मालनपुर में और भी केस दर्ज होते रहे हैं, लेकिन इस बात से इन्कार किया है, कि उन्हीं पुराने केसों का सहारा लेकर उसे उक्त अपराध में संलिप्त किया गया है। मौके पर पकड़े गये चारों आरोपियों के संबंध में उसका यह कहना रहा है, कि मौके पर कोई पुलिस पार्टी नहीं बनायी गयी थी, सभी ने मिलकर पकड़ा था। यह भी कहा है, कि घटनास्थल के दोनों तरफ झाड़ियां थीं, दिशाये वह नहीं जानता है। नरेश उर्फ भटा किस दिशा में भागा यह भी वह नहीं बता सकता है। नरेश का पैरा-5 में 100 मीटर तक पीछा करना, पैरा-7 में 200 मीटर तक पीछा करना उसने कहा है। इस बात से उसने इन्कार किया है, कि वह पुलिस बल में साथ में नहीं था।

22. इस प्रकार से अ0सा0-2 एवं अ0सा0-6 की जो अभिसाक्ष्य आयी है, उससे उनका गस्त में साथ में जाना तो प्रकट होता है, किंतु आरक्षक नरेन्द्र भार्गव के मुताबिक वह भाग गये नरेश उर्फ भटा का पीछा करने चला गया था, इसलिए उसके सामने मौके पर आरोपी नहीं पकड़े गये और उसके सामने कोई

जब्ती भी नहीं हुई है, क्योंकि जब वह लौटकर आया था, तब चारों को टी0आई0 साहब एक जगह बैठाये थे। मौके की जो स्थिति उक्त साक्षी ने बतायी है और मौके की कार्यवाही करने वाले टी0आई0 शेरसिंह (अ0सा0-6) ने बतायी है, उसके संबंध में कोई नजरी नक्शा तैयार नहीं किया गया है, जो उनके अभिसाक्ष्य की पुष्टि करता हो। कभी पकड़े गये सभी आरोपियों के द्वारा भागे आरोपी का नाम नरेश उर्फ भटा निवासी सिंघवारी बताया जाना साक्षी कह रहे हैं, तो कभी दिनेश के द्वारा उक्त बात बताना कहते हैं, किंतु इस संबंध में भी आरोपी दिनेश का कोई मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध नहीं किया गया है, इसलिए प्र0पी0-16 का रोजनामचा सान्हा का यह बिन्दु की भागने वाले के संबंध में कोई जानकारी पुलिस को आरोपी नरेश द्वारा दी गयी हो यह विश्वसनीय नहीं है।

23. अभियोजन कथानक का यह तथ्य, कि जब टी0आई0 शेरसिंह को डकैती की योजना की मुखबिर से सूचना हनुमान चौक पर रात्रि गस्त के दौरान प्राप्त हुई, जहां से घटनास्थल 2-3 किलोमीटर दूर बताया गया है, वहां जब वह पुलिस के साथ पहुंचा, तब उसने योजना का वृत्तांत स्वयं सुना यह स्वभाविक नहीं है, क्योंकि यदि आरोपीगण के द्वारा हॉटलाइन फैंक्ट्री में डकैती की योजना बनायी गयी होती और किसी मुखबिर द्वारा जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित किया गया होता, तो जो वर्तालाप सुना जाना टी0आई0 शेरसिंह (अ0सा0-6) ने अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं सुनना और प्र0पी0-16 में उसका उल्लेख करना बता रहा है, वैसा संभव नहीं है, बल्कि जो वृत्तांत बताया गया उससे तो ऐसा प्रकट हो रहा है, कि वृत्तांत कल्पनिक स्वरूप का है, क्योंकि कोई भी अपराधी मौके पर पहुंचने पर अपनी योजना का दौहराव सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता है, बल्कि पूर्व में ही योजना की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और जब मौके पर पहुंचते हैं तो उसे शीघ्र क्रियान्वित करते हैं। इसलिए जिस प्रकार का वृत्तांत प्र0पी0-16 में बताया गया है, जो कि कथानक का आधार है, उसके संबंध में अभियोजन की कहानी सत्यता निकट होना परिलक्षित नहीं होती है। इसलिए अ0सा0-2 और अ0सा0-6 की अभिसाक्ष्य जिनको महत्वपूर्ण और स्वतंत्र साक्षियों से समर्थन नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह सही है, कि पुलिस साक्षियों पर विश्वास करके दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि उसका अभिसाक्ष्य प्रत्येक संदेह से दूर हो।

24. विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क कि पुलिस कर्मों की साक्ष्य, इस आधार पर नजर अंदाज नहीं की जा सकती है, कि वह पुलिस साक्षी है, यह पूर्णतः सही है, किंतु विचाराधीन मामले में अ0सा0-2 और अ0सा0-6 की जिस प्रकार की साक्ष्य आयी है, उससे उनका साक्ष्य संदेहजनक इस कारण भी है, कि आरोपीगण की घटना कारित करने में क्या योजना थी, इस बारे में खुलासा नहीं है, कि वे फैंक्ट्री के अंदर जाकर क्या करने वाले थे और इस बारे में अनुसंधान स्तर पर पकड़े गये आरोपियों का कोई मेमोरेण्डम कथन भी नहीं लिया गया है। जहां तक आरोपी दिनेश से प्लास और दामोदर उर्फ करुआ से कटर की बरामदगी बतायी गयी है, दोनों ही वस्तुएं ऐसी हैं, जो बाजार में उपलब्ध होती हैं। जो कटर बरामद बताया गया है, उसके बारे में स्वयं टी0आई0 शेरसिंह (अ0सा0-6) ने यह स्वीकार किया है, कि बरामद कटर घरेलू उपयोग की समग्री है और लोग घरों में रखते हैं तथा वह साक्ष्य में पेश भी नहीं हुआ है। जो

स्वीकरोक्ति है उससे तो यह भी परिलक्षित होता है, कि जो कटर बताया गया है, वह फैक्टर के किसी उपकरण को काटने के उपयोग में नहीं आता होगा, क्योंकि उपकरणों को काटने वाले कटर आमतौर पर घरों में नहीं मिलते हैं। प्लास छोटे-मोटे घरेलू कार्य, घर की बिजली से संबंधित मरम्मत आदि के काम में भी उपयोग में लाया जा सकता है। उसके आधार पर वास्तव में डकैती की कोई योजना रही हो, ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए अभिलेख पर इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जो अभियोजन के इस मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करती हो, कि उनका बताया गया घटनास्थल जो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, वहां 5 की संख्या में एकत्रित होकर डकैती डालने की योजना की कोई तैयारी की हो। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध विरचित किए गए आरोप धारा-399, 400, 402 भा0द0वि0, सहपठित धारा 11 एवं 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 पूर्णतः संदिग्ध है। परिणाम स्वरूप आरोपी दिनेश एवं दामोदर उर्फ करुआ को धारा-399 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981, धारा-402 भा0द0वि0 सहपठित धारा 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपी नरेश उर्फ भटा को धारा-399, 400, 402 भा0द0वि0 एवं सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है, साथ ही आरोपी प्रताप एवं भारतपाल को भी धारा-399 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981, धारा 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोपों से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

25. जहां तक आरोपी प्रतापसिंह एवं भारतपाल के विरुद्ध विरचित आरोप धारा-25(1-बी)(ए) का प्रश्न है, उसके संबंध में बतायी गयी जब्ती प्र0पी0-06 एवं 07 पंचसाक्षियों से प्रमाणित नहीं हुई है। जब्तीकर्ता निरीक्षक शेरसिंह (अ0सा0-6) ने मौके पर जब्ती होना तो बताया है, किंतु उन्हें पेश नहीं किया गया है। प्र0पी0-06 एवं 07 में जो बरामद देशी कट्टे का डायग्राम बनाया गया है, उसमें ट्रेगर दर्शित नहीं हो रहा है। हालांकि उनका मौके पर जब्त कर सील्ड करना बताया गया है, सील नमूने की छाप भी कंडिका 13 में लगायी गयी है, किंतु ऊपर किये गये विस्तृत विश्लेषण में जब्तीपत्र प्रमाणित नहीं है और उन्हें साक्ष्य के दौरान पेश भी नहीं किया गया है, जबकि उन्हें साक्ष्य में पेश किया जाना आवश्यक था। न्यायदृष्टांत कालेबाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 2008 (4) एम0पी0एच0टी0 पैज-397 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है, कि जब्त आर्टिकल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कहानी उसका महत्व खो देती है और आरोपी दोषमुक्ति का हकदार होता है। अ0सा0-1 व अ0सा0-7 के द्वारा अवैध आग्नेय शस्त्र की जब्ती की पुष्टि नहीं की गयी है और इस संबंध में जब्तीकर्ता पुलिस अधिकारी टी0आई0 शेरसिंह का कथन भी औपचारिक स्वरूप का है, जिससे प्र0पी0-6 एवं 07 के जब्तीपत्र प्रमाणित नहीं होते हैं। इस बिन्दु पर जो अन्य साक्षी अभियोजन की ओर परीक्षित कराये गये हैं, उनमें प्रधान आरक्षक राजकिशोर सिंह (अ0सा0-4) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 05/11/14 को पुलिस लाइन भिण्ड में आर्म्स मुहरर के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 216/14 में

जब्तशुदा 315 बोर के दो देशी कट्टे और 5 जिंदा कारतूस की जांच करने पर दोनों कट्टे चालू हालत में होना और जब्त कारतूस कारतूस जीवित होकर फायर योग्य होना बताते हुए उनसे संबंधित जांच रिपोर्टें प्र0पी0-12 एवं 13 तैयार करना बताया बताया है। यह भी स्पष्ट किया है, कि कट्टों को खाली चलाकर देखा था, जिसका एक्शन चालू था और कारतूस की पैदी पर 8 एम0एम0के0एफ0 लिखा था और वह जीवित थे। उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य में कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये है, जिससे यह तो प्रमाणित हो जाता है, कि उसके द्वारा जिन कट्टे कारतूसों की जांच की गयी, जिन्हें थाना मालनपुर का आरक्षक देवेन्द्रसिंह क्रमांक 259 के द्वारा जांच हेतु सीलबंद अवस्था में लाया गया था, वह कट्टा कारतूस आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आता था और अभिलेख पर उनसे संबंधित कोई वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं है, जिससे वह अवैध आग्नेय शस्त्र की श्रेणी में आ जाता है और आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 की परिधि में आता है, किंतु वे आरोपी प्रतापसिंह और भारतपाल के कब्जे से बरामद हुए, इस संबंध में अभियोजन की सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है। इसलिए प्र0पी0-12 एवं 13 की जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन कहानी को बल प्राप्त नहीं होता है।

26. दीपक तिवारी (अ0सा0-3) ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 24/12/14 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पदस्थ रहना बताते हुए, थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 216/14 से संबंधित केस डायरी एवं पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के संबंध में जब्त आग्नेय आयुध प्राप्त होने पर उनका तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री मधुकर आग्नेय के द्वारा अवलोकन करने के पश्चात आरोपी भारतपाल एवं प्रतापसिंह के पास कोई वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति न होने के कारण अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जो स्वीकृतियां प्र0पी0-10 एवं 11 उक्त साक्षी ने बतायीं हैं। जिन पर स्वयं के हस्ताक्षर तथा तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर ए से ए और बी से बी भाग के बताये हैं। प्र0पी0-10 एवं 11 के अवलोकन से भी यह परिलक्षित होता है, कि साक्षी की अभिसाक्ष्य में अन्यथा कोई तथ्य नहीं आया है, केवल आयुधों को देखा जाना ही परिलक्षित होता है। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-10 एवं 11 की अभियोजन चलाने की स्वीकृतियां प्रमाणित होती है, किंतु जब तक आरोपी भारतपाल और प्रतापसिंह से अवैध आग्नेय शस्त्र की जब्ती प्रमाणित नहीं हो जाती है, तब तक आयुध अधिनियम के विरचित आरोप में उन्हें दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और ऊपर विस्तृत विश्लेषण में आरोपी भारतपाल और प्रतापसिंह से 315 बोर के देशी कट्टा मय कारतूसों के जब्त होना संदिग्ध पाया गया है, क्योंकि उसके संबंध में सुदृढ़ साक्ष्य का अभाव है, पंचसाक्षी पक्ष विरोधी है, जब्तीकर्ता पुलिस अधिकारी की साक्ष्य औपचारिक है, जो विश्वसनीय नहीं पायी गयी है। इसलिए बतायी गयी ऊपर वर्णित घटना में आरोपीगण की संलिप्तता ही संदिग्ध है। इसलिए उनके आधिपत्य से अवैध आग्नेय शस्त्र की बरामदगी संदिग्ध पायी जाती है। फलतः आरोपी भारतपाल एवं प्रतापसिंह को धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के आरोप से भी संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

27. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति 315 बोर के दो कट्टे एवं 5 जिंदा कारतूस अपील अवधि



पश्चात विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे, तथा कटर मूल्य हीन होने से विधिवत नष्ट किया जाये और प्लास को राजसात किया जाता है, जिसे नीलामी द्वारा विक्रय कर उसकी राशि उपकोषालय गोहद में जमा की जावे। अपील होने दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार निराकरण हो।

28. आरोपीगण को धारा-428 दंडप्र0सं0 के अंतर्गत विचारण दौरान न्यायिक निरोध में काटी गयी अवधि बावत् प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

29. निर्णय की प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 24 अगस्त 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश डकैती,  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)